संख्या– 439 /XVI(1)/18/7(5)/17

प्रेषक,

विकास कुमार श्रीवास्तव,

अनु सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 **देहरादूनः दिनांक 19 मार्च, 2018**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुदान संख्या–29 की योजनाओं के अन्तर्गत बचतों से पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक–548/एक–1(5)/2017–18/दिनांक–17 फरवरी, 2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक 2401– फसल कृषि कर्म–00– 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास–0319–औद्यानिक विपणन बोर्ड की योजना मद 42–अन्य व्यय में प्राप्त बचतों से अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक 2401– फसल कृषि कर्म–00–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–0304–सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण की योजना में 02–मजदूरी हेतु धनराशि ₹200.00हजार, 31–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में ₹4000.00हजार एवं 42–अन्य व्यय मद ₹0.30हजार समग्र रूप से धनराशि ₹630हजार (रूपये छः लाख तीस हजार मात्र) के पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार एवं कम्प्यूटर आईडी सहित आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. इस धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं हेतु स्वीकृत परिव्यय सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–27 दिसम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

क्रमशः 2

5. बजट करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, वहाँ व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. व्यय केवल उन्ही मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
7. योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नही की जायेगी।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें के अन्तर्गत अंकित संलग्न सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–221/वित्त–4/2018, दिनांक 12 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–कम्प्यूटर आई0डी0

भवदीय,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–439 /XVI(1)/18/7(5)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
5– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव